न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं0 ५५०/2026 अनवान बालाराम व अन्य बनाम सगताराम वगैरा

दिनांक 10 **.06.2026**

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन सं0 361/2017 बअनवान सगताराम वगैरा बनाम दानाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 15.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय श0प0 प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 से 3–प्रार्थी–सगताराम ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील बायतु स्थित ग्राम मेहराजोणियों की बेरी के खसरा नम्बर 1891 व 1921/1812 की उल्लेखित हैक्टर भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करवाने का आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–विप्रार्थी सं0 1–दानाराम के का0मु0–बालाराम वगैरा ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु म्याद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय श0प0 प्रस्तुत किया गया, जिसे न्याय हित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

वकील अपीलांट श्री के0सी0 चौधरी एवं रेस्पो0सं0 16 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट वादग्रस्त खसरान के पडौसी खातेदार है। अपीलाधीन आदेश न्याय आपके द्वार/कोर्ट केम्प ग्रा0पं0 मुख्यालय नौसर में रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जारी किया गया। जिसमें विप्रार्थीगणों को नोटिस/सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश की पालना 9 वर्ष पश्चात की जा रही है। दिनांक 06.06.2026 को तहसीलदार बाटाडु द्वारा अपीलांट्स–अप्रार्थीगण को नोटिस मिलने पर इसकी जानकारी हुई। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने अथवा विकल्पतः अपीलांट को सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया गया।

जवाब में राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रकट तथ्यों के

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आर पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है अपीलाधीन आदेश न्याय आपके द्वार/कोर्ट केम्प ग्रा0पं0 मुख्यालय नौसर में पारित किया गया है। आदेश में विप्रार्थी की सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने अथवा उपस्थिति/अनुपस्थिति का तथा तहसीलदार के जवाब/रिपोर्ट का उल्लेख नही है। इस स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत प्रतीत नही से, न्यायहित में उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा गया।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) द्वारा राजस्व आवेदन सं0 361/2017 बअनवान सगताराम वगैरा बनाम दानाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 15.06.2017 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर, उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज **दिनांक** 10-6-26 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

10/6/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

3762
10/6/2026 SDO बायतु